उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 29.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 29.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 28.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह मय हमराह कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र के ग्राम गौरहारी अवस्थित पेट्रोल पम्प के आगे मजार के पास सार्वजनिस स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः (1). बृजभान राजपूत पुत्र बद्री प्रसाद उम्र 35 वर्ष (2) प्रेमचन्द्र राजपूत पुत्र मदनपाल उम्र 26 वर्ष (3) चन्द्रभान अनुरागी पुत्र दस्सी उम्र 55 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम बफरेथा थाना चरखारी जनपद महोबा को मय मालफड़ 1500 रू. व 52 अदद ताश पत्ते जामातलाशी 470 रू0 कुल 1970/- रूपया के साथ गिरफ्तार किया है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 59/2025 धारा 13 G एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गई है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ भूपेन्द्र सिंह .नि.
2. कां कामिल.मो.
3. कां0 कुलदीप सिंह

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

(1) बृजभान राजपूत पुत्र बद्री प्रसाद उम्र 35 वर्ष
(2) प्रेमचन्द्र राजपूत पुत्र मदनपाल उम्र 26 वर्ष
(3) चन्द्रभान अनुरागी पुत्र दस्सी उम्र 55 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम बफरेथा थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी विवरण-

मालफड़ 1500 रू. व 52 अदद ताश पत्ते जामातलाशी 470 रू0 कुल 1970/- रूपया

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बाल किशोर पुलिस इकाई की मासिक गोष्ठी की गई, जिसमें गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी, बाल विवाह, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के दिए गए निर्देश-

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह की अध्यक्षता में आज दिनांक-29.03.2025 को जनपद महोबा के रिज़र्व पुलिस लाइन में स्थित सभागार कक्ष में SJPU & AHTU की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक आयोजित की गई।

जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी SOP, अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम, नशामुक्त आभियान, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंग समानता, नारी शक्ति, बच्चा चोरी के अफवाहो पर जारी डीजी परिपत्र, किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्यवाही और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल संरक्षण, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्यगण, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रम पर्वतन अधिकारी, प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जनपद महोबा, जी0आर0पी0, जिला अभियोजन कार्यालय, महिला थाना / एस0 जे0 पी0यू0 प्रभारी.निर्देशक चाइल्ड लाइन महोबा के अधि./कर्म. के साथ-साथ जनपद के सभी थानों में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 29.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु मॉकड्रिल का आयोजन कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को जागरुक किया गया।

अग्नि से सम्बन्धित होने वाली विभिन्न दुर्घटनाओं में प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आज दिनांक 29.03.2025 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चरखारी में 03 दिवसीय सुरक्षा एवं संरक्षा कवच प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महोबा, श्री देवेश तिवारी के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग द्वारा वहाँ मौजूद अध्यापकों को आग के बारे में विस्तृत जानकारी एवं प्राथमिक अग्निशमन यंत्र को चलाने का प्रशिक्षण तथा घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया एवं अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन कर आग से बचाव के तरीके, घरेलू गैस (एलपीजी सिलेण्डर) से लगी आग को बुझाने/काबू पाये जाने की विधियों सहित विभिन्न प्रकार से होने वाली अग्निसुरक्षा हेतु प्रयुक्त अग्निशमन उपकरण- फायर एक्सटिंग्यूसर इत्यादि को चलाने की विधि के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 29.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ का वार्षिक निरीक्षण किया गया।
इस दौरान थाना कार्यालय में प्रचलित अभिलेखों, शस्त्रों, महिला हेल्प डेस्क, मैस एवं थाना परिसर का विस्तृत मुआयना किया गया, संबंधित को अभिलेखों के उचित रख-रखाव एवं अद्यावधिक किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
थाने में नियुक्त कर्मचारियों के साथ सैनिक सम्मेलन कर उनके कार्यों की गहन समीक्षा की
ग्राम चौकीदारों से वार्ता कर ग्रामों की कुशलता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।

आज दिनांकः- 29.03.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा थाना कुलपहाड़ में वार्षिक निरीक्षण हेतु पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक महोबा को सुसज्जित सलामी गार्द द्वारा सलामी दी गयी, सलामी गार्द का मान प्रमाण लेने के पश्चात पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया।

वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कार्यालय के अभिलेखो एवं थाना अन्तर्गत विभिन्न रजिस्टर/अभिलेखों यथा- रजि0नं0-4, रजि0न0-8 तथा फ्लाई शीट, गुण्डा रजिस्टर, टॉप-10 अपराधी रजिस्टर, बीट सूचना अंकन रजिस्टर, महिला उत्पीडन रजि0, एससी/एसटी रजि0 इत्यादि का गहनता पूर्वक अवलोकन कर सभी प्रविष्टियों को अपडेट करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया साथ ही सीसीटीएनएस कक्ष, हवालात सहित थानाहाजा के शस्त्रों का भी निरीक्षण किया गया। थाना परिसर एवं थाना कार्यालय में साफ-सफाई सन्तोषजनक पायी गयी। साइबर हेल्प डेस्क/महिला हेल्प डेस्क में नियुक्त कर्मचारी से वार्ता कर उनकी जिम्मेदारियों को बोध करा उनके कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

भोजनालय की व्यवस्था ठीक पायी गयी, रसोइये द्वारा कुछ बर्तनों की कमी को बताया गया जिस पर उनको आवश्यक बर्तनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं। हेडमुहर्रिर को निर्देशित किया गया कि थाना परिसर में जो भी लावारिस व मुकदमाती माल निस्तारण हेतु शेष हैं उनका शीघ्र निस्तारण करायें साथ ही जो भी मुकदमाती वाहन खडे हैं उनको सुव्यवस्थित ढंग से खडा कराते हुए उनकी नम्बरिंग कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

थाने में नियुक्त कर्मचारियों के साथ सैनिक सम्मेलन कर उनके कार्यों की गहन समीक्षा की गयी, पुलिस आरक्षियों की बीट बुक को चेक किया गया, साथ ही पुलिस कर्मियों एवं कार्यालय के कर्मचारी से आईपीसी एवं नवीनतम कानून बीएनएस के विषय में पूछताछ की गयी।

निरीक्षण के दौरान थाना कुलपहाड़ मे लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा की गयी जिसमें सम्बन्धित विवेचना अधिकारी को वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर विवेचना को गुणदोष के आधार पर निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया। साथ ही थानाक्षेत्र के हिस्ट्रीशीटरों की लगातार निगरानी कर उनके क्रियाकलापों पर पैनी नजर बनाये रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आर्मोरर को निर्देशित किया गया कि थाने में मौजूद सभी शस्त्रों की साफ-सफाई करायें व सभी कर्मचारियों को शस्त्रों का प्रशिक्षण प्रदान करें।

साइबर थाना प्रभारी महोबा को निर्देशित किया कि प्रत्येक थाने से सम्बन्धित साइबर सेल के कार्यालय सम्बन्धित कर्मचारियों साइबर अपराध के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करें, जिससे साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

ग्राम चौकीदारों से वार्ता कर ग्रामों की कुशलता के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।

वार्षिक निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां परिलक्षित हुई हैं उनको 15 दिवस के अन्दर दुरुस्त कर शीघ्र अद्यावधिक किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

नाबालिक किशोरी को परेशान करने वाले 03 नफर वांछित अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार-

दिनांक- 28.03.2025 को थाना कोतवाली नगर महोबा चौकी भटीपुरा क्षेत्रअन्तर्गत निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उनकी पुत्री को उनके ही मोहल्ले के व पूर्व से परिचित सजातीय लड़को द्वारा परेशान किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर उनकी लड़की ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा में मु.अ.स 145/2025 धारा 125/74/352/351(2)/49 बी.एन.एस व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई।

अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उक्त घटना में संलिप्त 03 नफर वाँछित अभियुक्तगण क्रमशः 1- जीतू रैकवार उर्फ जितेन्द्र रैकवार उम्र करीब 23 वर्ष 2. वीरू रैकवार उर्प बीरेन्द्र रैकवार उम्र 20 वर्ष पुत्रगण बाबू रैकवार 3.मनमोहन रैकवार पुत्र रामलाल रैकवार उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम बीजानगर थाना कोतवाली नगर महोबा को थानाक्षेत्र के PWD चौराहा के पास थाना कोतवाली नगर महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया हैं, गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.जीतू रैकवार उर्फ जितेन्द्र रैकवार उम्र करीब 23 वर्ष 2. वीरू रैकवार उर्प बीरेन्द्र रैकवार उम्र 20 वर्ष पुत्रगण बाबू रैकवार 3.मनमोहन रैकवार पुत्र रामलाल रैकवार उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम बीजानगर थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
2. कां0 अवनेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
3. का0 चंदन पांचाल थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

महोबा पुलिस

- **सीसीटीएनएस की रैंकिंग में जनपद महोबा को प्रथम स्थान**
- **मुख्यालय तकनीकी सेवाएं द्वारा पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक महोबा को प्रशस्ति पत्र से किया गया सम्मानित-**
- **पुलिस अधीक्षक महोबा के कुशल नेतृत्व में जनपद को प्रथम स्थान बार प्राप्त हुआ है। 02 बार तथा द्वितीय स्थान 01**

सीसीटीएनएस योजना की प्रगति के संबंध में मुख्यालय तकनीकी सेवाएं द्वारा फरवरी 2025 के डाटा के अनुसार जनपदों की रैंकिंग की गई है। जिसमें लम्बित अभियोगों के त्वरित निस्तारण को लेकर जारी प्रदेश स्तरीय सीसीटीएन रैंकिग में जनपद महोबा पुलिस को 100 % अंको के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

इस उपलब्धि पर श्री नवीन अरोरा, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है साथ ही साथ भविष्य में भी इसी प्रकार पूर्ण मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सौपें गये दायित्वों का निर्वहन कर विभाग की प्रतिष्ठा बढाने में सहयोग किये जाने हेतु प्रशंसा की गई है।

ध्यातव्य रहे कि पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल व अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के कुशल नेतृत्व में जनपद को प्रथम स्थान 01 बार तथा द्वितीय स्थान 02 बार प्राप्त हुआ है।

- क्या है सीसीटीएनएस पोर्टल-

सीसीटीएनएस के माध्यम से किसी भी अपराध से जुड़ी हुई रिपोर्ट के साथ ही प्रकरण किस स्थिति में है। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस मामले में कहा तक विवेचना कर रही है। इस संबंध में पुलिस कहां-कहां जांच करने गई। लगभग यह सभी जानकारियां चालान पेश होने तक की हर गतिविधि को सीसीटीएनएस साफ्टवेयर में ऑनलाइन किया जाता है।

- सीसीटीएनएस की रैंकिंग से जुडे पोर्टल-

1. CCTNS portal Ke IIF forms 2. Training certificate portal 3. Pared portal 4. Field unit portal 5. PG portal6. Foot patrolling portal 7. Crimac portal 8. ICJS portal 9. Crime analytical portal 10. NAFIS portal

इन सभी में अच्छी फीडिंग व मॉनिटरिंग के आधार पर महोबा पुलिस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 29.03.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह द्वारा बिच्छु पहाडिया कांसीराम कालोनी के पास से 01 नफर अभियुक्त धर्मेन्द्र रैकवार पुत्र जगदीश उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बीजानगर थाना कोतवाली नगर महोबा को मय एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 147/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
2. हे0का0 अमित नागर थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी-

धर्मेन्द्र रैकवार पुत्र जगदीश उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बीजानगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।